न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 99/2021/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी

दायरा दिनांक 8.3.2021

किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

नन्दकंवर पत्नी बिरधीलाल जाति माली निवासी घाणा का पाडा हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राज0।

.......अपीलार्थी

बनाम

1. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मांदोलिया का बरडा हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बूंदी–राज0।
2. उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी।
3. तहसीलदार हिण्डोली जिला बूंदी।

.... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्दीन अंसारी अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 20.9.2021

अपीलार्थी द्वारा, प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 मुकाम हिण्डोली (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली) मे ग्राम हिण्डोली की भूमि ख0 सं0 3094 मे से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि रा0 प्रा0 विघालय मांदोलिया का बरडा–हिण्डोली के खेल मैदान हेतु आवंटन आदेश क्रमांक आवंटन/10/667–70 दिनांक 22.12.2010 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम मे रेस्पो0 के विरूद्ध पेश की गई।

1 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 मुकाम हिण्डोली (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली) ने आदेश क्रमांक आवंटन/10/667–70 दिनांक 22.12.2010 से ग्राम हिण्डोली की भूमि खसरा सं0 3094 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा गे0 मु0 बर्डा मे से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि निःशुल्क रा0 प्रा0 विघालय मान्दोलिया का बरडा–हिण्डोली के खेल मैदान हेतु आवंटित किये जाने से व्यथित पक्षकार होना वर्णित करते हुये अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अपीलाधीन आदेश वस्तुस्थिति, विधान एव प्रक्रिया के सर्वथा विपरीत है कि राजकीय प्रा0 वि0 मान्दोलिया का बरडा हेतु पूर्व से 10 बीघा भूमि आवंटित है जिस पर स्कूल भवन बना हुआ है और शेष भूमि खाली पडी हुई है जिस पर खेल गतिविधियां की जा सकती है। अतः पृथक से खेल मैदान की आवश्यकता नही है। आवंटित भूमि सडक के दूसरी तरफ है जो स्कूल से काफी दूर है, बीच मे 148–डी राष्ट्रीय राजमार्ग (सडक) से हिण्डोली मे आने वाली पक्की सडक बनी हुई है जिस पर होकर हल्के व भारी वाहन हिण्डोली मे आते जाते है। खैल मैदान पर बच्चो को काफी दूर पैदल चल कर जाना होगा जिससे छोटे बच्चो के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। विघालय मे बच्चो का प्रवेशांक मात्र 10–15 है गत 4 वर्षो से प्रवेशांक नगण्य होने से स्कूल बंद पडा है इस वर्ष चालू किया है। शाला भवन के पास ही लगभग 8 बीघा भूमि स्कूल परिसर मे खाली पडी हुई है जिसका उपयोग खेल मैदान हेतु किया जा सकता है। आवंटन अधिकारी ने स्कूल का भौतिक सत्यापन किये बिना केवल पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर ही आवंटन आदेश पारित कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है। ख0सं0 3094 रकबा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

11 बीघा 7 बिस्वा गै0 मु0बर्डा है जो खातेदारी भूमि के मध्य मे स्थित है उक्त भूमि ख0 सं0 3094 मे से खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि खसरा सं0 6440/3094 पर अपीलांट गत 45–50 वर्षो से काबिज चली आ रही है। अपीलांटा राज्य सरकार को निरंतर पैनाल्टी राजकोष मे जमा कराती रही है। आवंटित भूमि खाली नही है। अपीलाटां को बेदखल किये बिना किया गया आवंटन गैरकानूनी व अवैध होने खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि आवंटन रिक्त भूमि का ही किया जाता है। पटवारी ने रिपोर्ट मे भी उक्त भूमि पर बाडे बने हुये होना अंकित किया है। उक्त भूमि अपीलांटा के पति बिरधीलाल के खातेदारी भूमि की समीपवर्ती भूमि है जिस पर अपीलांट ने जानवरों का छपरा बना रखा है छायादार पेड लगा रखे है पानी की टंकी व गोबर की रेवडी है तथ शेष भूमि पर अपीलांट काश्त कर रहे है। आवंटित भूमि पर स्कूल का कभी कब्जा नही रहा है तथा ना ही आवंटी द्वारा कब्जा लिया है। आवंटन को 11 वर्ष हो चुके है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लधंन करने से आवंटन आदेश की शर्त सं0 7 के अनुरूप भी आवंटन खारिज योग्य है। दिनांक 25.1.2021 को स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा भूमि खेल मैदान की होने से अपीलांट को बेदखल किये जाने की धमकी देने पर आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर अपील प्रा0 पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई। अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील आवंटन आदेश निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि स्कूल खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि पर अपीलांट 40–50 वर्षो से काबिज है उक्त भूमि पर बाडा छपरा बना रखा है तथा छायादार पेड लगा रखे है। पानी की टंकी व गोबर की रेवडी है। शेष भूमि पर काश्त की जा रही है उक्त भूमि की अपीलांट पेनाल्टी राजकोष मे जमा करती रही है। उक्त भूमि से लगी हुई अपी0 के पति की भूमि है। इसलिये प्रकरण मे अपी0 प्रभावित पक्षकार होने से अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 के साथ पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब की गई पटवारी रिपोर्ट मे उक्त भूमि पर बाडे बने हुये होने वर्णित है ऐसी स्थिति मे अपी0 के अधिकार तय किये बिना अपीलाट के कब्जे की भूमि को खेल मैदान के लिये आवंटित कर त्रुटि की है। आवंटित भूमि पर स्कूल का कभी कब्जा नही रहा ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया है जो आवंटन शर्तो का उल्लधंन होने से शर्त सं0 7 के अनुसार स्वतः ही आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। बहस मे यह भी कथन किया कि पूर्व मे स्कूल के लिये 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था जिसमे से 8 बीघा भूमि खाली पडी हुई है जो खेल मैदान के लिये उपयुक्त है तथा खेल गतिविधियां की जा सकती है। पृथक से खेल मैदान के लिये भूमि के आवंटन की आवश्यकता नही है। बहस मे यह भी प्रकट किया कि आवंटित भूमि सडक के दूसरी तरफ है जो स्कूल से काफी दूर है आवंटित भूमि के बीच मे 148–डी राष्ट्रीय राजमार्ग (सडक) से हिण्डोली मे आने वाली पक्की सडक बनी हुई है जिस पर होकर हल्के व भारी वाहन हिण्डोली मे आते जाते है। खेल मैदान पर बच्चो को काफी दूर पैदल चल कर जाना होगा जिससे छोटे बच्चो के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। आवंटन अधिकारी ने स्कूल का भौतिक सत्यापन किये बिना केवल पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर ही आवंटन आदेश पारित कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे बताया कि प्रभारी अधिकारी ने प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 मुकाम हिण्डोली मे ग्राम पंचायत हिण्डोली के प्रस्ताव एंव तहसीलदार हिण्डोली की रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त सरकारी भूमि खसरा नं0 3094 रकबा 11 बी0 7 बिस्वा किस्म गै.मु.बर्डा ग्राम मांदोलिया का बरडा–हिण्डोली मे से 4 बीघा 10 बिस्वा राज0 प्रा0 वि0 मांदोलिया का बरडा के खैल मैदान हेतु आवंटित की है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादग्रस्त भूमि सिवायचक चारागाह किस्म गे.

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

म.बर्डा दर्ज होने से प्रकरण मे अपीलांट व्यथित पक्षकार नही है। वादग्रस्त भूमि सरकारी भूमि होने से अपीलांट को विधिक तौर पर कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। अतः प्रथम दृष्टया ही प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाकर तद्नुसार अपील अपीलांट पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

5. हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा जेरअपील आदेश के विरूद्ध अपील व्यथित पक्षकार होना प्रकट करते हुये प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ प्रस्तुत की है। अतः अपील का गुणावगुण पर विचारण करने से पूर्व यह विनिश्चिय किया जाना है कि आया अपीलांट प्रश्नगत अपील प्रकरण मे व्यथित पक्षकार है अथवा नही। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी मे वर्णित किया है कि खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि स्कूल से काफी दूर होने से उपर्युक्त नही होने से आवंटन खारिज योग्य है। आवंटित भूमि पर 40–50 वर्षो से निरतंर काबिज चली आ रही है। वर्तमान मे भी प्रार्थी/अपीलांट के नाम दर्ज है जिस पर अपीलांट ने बाडा, छपरा बना रखा है व पानी की टंकी व गोबर की रेवडी है तथा छायादार पेड लगा रखे है। आवंटन करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया इसलिये जेरअपील आदेश से अपीलांट व्यथित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति चाही जाने के साथ अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसीके साथ पेश की है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं0 2063–2066 ग्राम हिण्डोली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 3094 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा किस्म गे.मु.बर्डा सरकार के खाते दर्ज है। अपीलांट–प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी मे वर्णित तथ्यों के संबध मे ऐसे कोई आधार अभिलेख/राजस्व रिकार्ड पेश नही किया है तथा ना ही पत्रावली मे मौजूद है जिससे अपीलांट/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती हो। ऐसी स्थिति मे समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे अपी0/प्रार्थी का उक्त कथन स्वीकार्य नही है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख जेरअपील आदेश एवं राजस्व रिकार्ड आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि मे से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत हिण्डोली के प्रस्ताव व तहसीलदार हिण्डोली की रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 मुकाम हिण्डोली (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली) ने आदेश क्रमांक आवंटन/10/667–70 दिनांक 22.12.2010 से रा0 प्रा0 वि0 मान्दोलिया का बरडा (हिण्डोली) के खेल मैदान हेतु निःशुल्क आवंटित की गई है। चूंकि वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 3094 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा किस्म गे.मु.बर्डा सरकार के खाते राजस्व रिकार्ड मे दर्ज भूमि है। अतः सरकार के खाते दर्ज भूमि के संबध मे अपीलांट/प्रार्थी को विधिक तौर पर कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति मे राज0 प्रा0 वि0 मांदोलिया का बरडा (हिण्डोली) खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि खसरा नं0 6440/3094 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा का जारी जेरअपील आदेश से अपीलांट–प्रार्थी का व्यथित पक्षकार होना प्रकट नही होता है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता आधारहीन होने से खारिज किया जाकर तदानुसार अपील अपीलांट पोषणीय नही होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 20.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

20/9/21

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा